बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–वि० प्रा० (I) विविध–19/2014/ /पटना, दिनांक –

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–3882, दिनांक–03.05.2023 द्वारा निर्धारित शर्त्तों के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के न्यायिक वादों में प्रतिशपथ पत्र/आवेदन इत्यादि दायर करने हेतु तथ्य विवरणी (अंग्रेजी में) तैयार करने के लिए निम्नलिखित विद्वान अधिवक्ताओं के नाम विभागीय पैनल में सम्मिलित किये जाते है:–

क्र०सं०	नाम	पता	दूरभाष सं०/मोबाई संख्या
1.	श्रीमती सरिता बजाज	D/o स्व० कमल किशोर केडिया, शांति मोहन कुंज 105, फ्रि प्रेस लेन (मछली गली), राजेन्द्र पथ पटना–01	9334265392/6201749559 Skbajaj5465@gmail.com
2.	श्री ज्योति प्रकाश	S/o श्री प्रेम कुमार पाठक ज्योति, श्रीधर सदन, मकान सं०–12A रामनगरी, सेक्टर–03, असियाना नगर, पटना–25	8076126572 Jyotiprakash1@gmail.com

3. उपर्युक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्त्तों के साथ विभिन्न न्यायिक वादों में विभाग की ओर से दायर की जाने वाली तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/अपील/आवेदन आदि के प्रारूप तैयार करने हेतु विभागीय पैनल में सम्मिलित किया जाता है:–

(i) प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए, तथ्य विवरणी विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है तो, रू० 2,000.00 (दो हजार रूपये) मात्र तथा विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण, हेतु प्रति अनुमोदित तथ्य विवरणी रू० 500.00 (पाँच सौ रूपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि भुगतेय होगी। यह दर राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के आलोक में समय–समय पर बढ़ या घट सकती है।

(ii) संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रत्येक माह के प्रारंभ में विगत माह में तैयार की गई तथ्य विवरणियों की सूची के साथ अपना विपत्र विभाग को समर्पित करना होगा, जिसकी जाँचोपरान्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

कृ०प०उ०

(iii) संबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की अपेक्षा होगी कि संबंधित अधिनियमों/नियमावलियों/विभागीय अनुदेशों से भली–भाँति अवगत हो लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय इनके सुसंगत प्रावधानों को उल्लेख किया जा सके।

(iv) सबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की यह भी अपेक्षा होगी कि वे विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मामलों में पूर्व में पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णयों की जानकारी भी प्राप्त कर लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का समावेश भी तथ्य विवरणी में किया जा सकें।

(V) विभाग द्वारा सौपे गये मामलों के संबंध में पैनल अधिवक्ता द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाये रखी जानी होगी और इनसे संबधित जानकारी विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को नहीं दी जानी होगी। जिन मामलों में पैनल अधिवक्ता द्वारा विभाग के लिए तथ्य विवरणी तैयार की जाती है उनमें वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो कोई परामर्श विरोधी पक्ष या उनके प्रतिनिधि इत्यादि को देंगे और न हीं उस मामले में विभाग के विरूद्ध किन्हीं का वकालतनामा स्वीकार करेंगे। प्रत्येक मामले में उनके द्वारा Professional Ethics का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(Vi) मामलों की महत्ता को देखते हुए विभागीय पैनल के अधिवक्ताओं से विभाग की यह अपेक्षा रहेगी कि विभाग द्वारा तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/वाद इत्यादि दायर करने हेतु संबंधित मामलों में वे एक या दो दिनों के भीतर तथ्य विवरणी/प्रारूप आदि तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा देंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय/अन्य माननीय न्यायालयों में विभाग के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई में कोई विलम्ब न हों।

4. तथ्य–विवरणी तैयार कराने हेतु संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक का उत्तरदायित्व होगा कि सभी तथ्य, संचिका एवं आवश्यक अभिलेख के साथ संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क करेंगे अथवा विभाग में बुलाकर उन्हें सहयोग करेंगे। तथ्य–विवरणी बनाने के पूर्व सभी संबंधित कागजात एवं नई–पुरानी संचिकाओं से तथ्य संकलन का कार्य संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लिपिक द्वारा किया जाना चाहिए।

कृ०प०उ०

इस प्रकार संकलित तथ्य सुसंगत नियमों के प्रति/पत्र–परिपत्र/संकल्प आदि के सम्बंधित कंडिका/नियम/परिनियम/वाक्यांश को मार्कर से चिन्हित कर नोडल पदाधिकारी के माध्यम से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे संबंधित अधिवक्ता से समय सीमा के भीतर तथ्य–विवरणी प्राप्त कर लेंगे। तत्पश्चात् अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए तथ्य विवरणी को सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी उन्हें महाधिवक्ता कार्यालय, निर्गत शाखा के माध्यम से भेज देंगे। प्रभारी विधि कोषांग अपने पर्यवेक्षण मे उक्त कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।

5. पैनल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा, तथा आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।

6. भविष्य में अधिवक्ताओं का नाम पैनल में बरकरार रखने अथवा उन्हें पैनल से हटाये जाने का अधिकार पूर्णरूपेण विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। अधिवक्ताओं को उनकी आवश्यकता अथवा उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप उपर्युक्त पैनल को विभागीय प्रधान सचिव/सचिव का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर भी परिवर्तित/संशोधित/रद्द किया जा सकेगा।

7. पैनल में नाम शामिल होने अथवा अन्य किसी आधार पर भविष्य में नियुक्ति का कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

8. प्रस्ताव में सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–19/2014/ /पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/

अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–19 / 2014 / /पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–19 / 2014 / 1224 /पटना, दिनांक – 13/3/25

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के निजी सहायक / सभी पदाधिकारी / उप निदेशक (त०)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / सभी कर्मी / आई० टी० मैनेजर (वेबसाइट पर अपलोड हेतु) / लेखा शाखा, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

0/–

13/3/25

अपर सचिव–सह–निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

13/03/25